न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बीरपुर (सुपौल)
S.T. 232/2025
IA/3/2026

दिनांक	आदेश पत्र पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ	अभियुक्त
23.07.2026	कारावीन अभियुक्त शशि कुमार यादव की ओर से जमानत का आवेदन दाखिल किया गया। जिसकी एक प्रति विद्वान मुख्य अभियोजक को दी गई। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विपिन कुमार के द्वारा निवेदन किया गया कि कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा गांव के गंदी राजनीति के कारण प्रस्तुत मुकदमा में अभियुक्त बनाया गया है। मुकदमा दिनांक 30.06.2025 को दौरा सुपुर्दगी कर श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुपौल के न्यायालय में भेजा गया है। दिनांक 18.12.2025 को अभियुक्तों द्वारा किसी प्रकार की पैरवी नहीं किए जाने के कारण अभियुक्त का जमानत बंध पत्र खंडित कर गैर–जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत मुकदमा के अन्य सह–अभियुक्तों को दिनांक 30.03.2026 को श्रीमान् के द्वारा जमानत दिया गया है। अभियुक्त एक मजदूर किस्म का इंसान है जो रोजी रोटी कमाने हेतु गांव से बाहर चला गया था इसी बीच वीरपुर में 10 कोर्ट की उद्घाटन की होड़ चल रहा था। अनुमंडल वीरपुर के अंतर्गत पड़ने वाले सभी थाना के केस जो सुपौल में चल रहा था उसे वीरपुर 02.04.2026 के बाद लौटाना प्रारंभ हो गया। इस बीच अभियुक्त अपना जमानत कराने हेतु सुपौल गया परंतु उनके अधिवक्ता द्वारा बोला गया कि अब आपका केस वीरपुर चला गया है वहीं आपका जमानत होगा। अभियुक्त अपना जमानत कराने हेतु वीरपुर कोर्ट आए, लेकिन कोर्ट उद्घाटन के बाद कोर्ट का काम चालू नहीं हो सका उसके पश्चात् अभियुक्त लौटकर घर चला गया जब जानकारी मिली कि वीरपुर कोर्ट में कार्य प्रारंभ हो गया है तब प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 01.07.2025 को स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेते हुए उपकारा वीरपुर भेज दिया गया। अभिलेख आरोप गठन हेतु लंबित चला आ रहा था। दिनांक 22.07.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन श्रीमान् के द्वारा कर दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त जानबुझकर अपने जमानत का दुरूपयोग नहीं किया है। अभियुक्त गलती की सजा भुगत चुका है। विगत 23–24 दिन से उपकारा वीरपुर में बंद है। प्रार्थी अभियुक्त श्रीमान के संतुष्टि पर समुचित जमानतदार देने को तैयार है। प्रार्थी अभियुक्त को उचित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। अभियोजन की ओर से विद्वान मुख्य अभियोजक श्री उमेश कुमार जमानत का विरोध करते है। जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् अभिलेख दिनांक 23.07.2025 को सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी अभियुक्त पूर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर थे। अभिलेख आरोप गठन हेतु निर्धारित था। प्रार्थी अभियुक्त को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश था। अभियुक्त को सदेह उपस्थित नहीं होने के कारण एवं अभियुक्त की ओर से किसी प्रकार की पैरवी नहीं किए जाने के कारण दिनांक 18.12.2025 को अभियुक्त का जमानत बंध पत्र खंडित कर अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध निर्गत गैर–जमानतीय अधिपत्र का तामिला प्राप्त है। प्रार्थी अभियुक्त अपने पूर्व में प्राप्त जमानत के सुविधा का दुरूपयोग किया है। प्रार्थी अभियुक्त का यह प्रथम गलती प्रतीत होता है। अभियुक्त दिनांक 01.07.2026 को न्यायालय में आत्म–समर्पण किये हैं तथा तब से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। अभिलेख आरोप गठन हेतु लंबित था। प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध वाद में दिनांक 22.07.2026 को आरोप गठन किया जा चुका है। ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में काराधीन अभियुक्त को मो0 10,000/– रूपये एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियुक्त विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे। लेखापित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बीरपुर	
23.07.2026		